v/:k:-9

निष्कर्ष एवं संस्तुतियाँ

अध्याय

9 निष्कर्ष एवं संस्तुतियाँ

जिला चिकित्सालय एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उत्तर प्रदेश में जन–स्वास्थ्य प्रणाली के केन्द्रीय घटक हैं। अतएव, सम्पूर्ण स्वास्थ्य प्रणाली के निष्पादन पर इन चिकित्सालयों का गहरा प्रभाव है।

वर्ष 2013–18 की अवधि में उत्तर प्रदेश में जन–स्वास्थ्य पर व्यय में पर्याप्त वृद्धि के बाद भी नमूना–जांच हेतु चयनित प्राथमिक एवं द्वितीयक स्तर के चिकित्सालयों ने उत्पादकता, दक्षता, सेवा–गुणवत्ता एवं चिकित्सकीय देखभाल क्षमता सम्बन्धी प्रतिफल संकेतकों, जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा मूल्यांकित किया गया, के सापेक्ष असंतोषजनक प्रर्दशन किया।

जिला एवं ब्लाक स्तर पर यथोचित देखभाल यथोचित स्थान पर यथोचित समय पर उपलब्ध कराने के लिए, विद्यमान स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार हेतु राज्य सरकार, निम्न संस्तुतियां, व्यवहारिकता के आधार पर यथाशीघ्र कार्यान्वित कर सकती है:

स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं हेतु नीतिगत ढाँचा

- इस तथ्य के दृष्टिगत कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, यह आवश्यक है कि राज्य सरकार विभिन्न स्तरों के चिकित्सालयों के लिए सेवाओं और संसाधनों की उपलब्धता से सम्बन्धित मानक और मानदंड निर्धारित करे।
- राजकीय चिकित्सालयों में मानव संसाधनों में कमी एवं इनके असमान वितरण को दूर करने के लिए चिकित्सालयों में रोगियों की वर्तमान आवक/मांग के आधार पर स्वीकृत पदों की संख्या को पुनर्निर्धारित किया जाना चाहिए।
- निम्न कमियों को दूर करने के लिए गम्भीर नीतिगत परिवर्तन की आवश्यकता है:
  - आपात स्थितियों में औषधि एवं कन्ज्यूमेबिल्स को स्थानीय स्तर पर ही क्रय करने की क्रियाविधि, औषधियों की गुणवत्ता जांच हेतु नमूना लेने सम्बन्धी मानक, मानदण्ड एवं आवधिकता, औषधि क्रय नीति में सम्मिलित किया जाना चाहिए, एवं
  - जिला स्तरीय चिकित्सालयों में सभी प्रकार के आवश्यक उपकरणों को मानकीकृत किया जाना चाहिए एवं चिकित्सालयों में उपकरणों के क्रय किये जाने के पूर्व उनकी आवश्यकताओं का ऑकलन एवं उनके रखरखाव के पहलू को उपकरण क्रय नीति में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

वाह्य रोगी सेवाएं

- राज्य स्तर पर महानिदेशक, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं के द्वारा जिला चिकित्सालयों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रति रोगी परामर्श समय के सम्बन्ध में विशेषज्ञ समीक्षा की जानी चाहिए ताकि प्रत्येक रोगी को दिये जा रहे अत्यंत कम परामर्श समय के सम्बन्ध में सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें।
- रोगियों की बढ़ती हुई संख्या के सापेक्ष पंजीकरण पटलों की संख्या में असमता पर अविलम्ब ध्यान दिया जाना चाहिए जिससे रोगियों की प्रतीक्षा अवधि कम हो एवं बैठने/शौचालय की सुविधा में वृद्धि, रोगियों की संख्या मे बढ़ोत्तरी के अनुरूप की जानी चाहिए।
- शिकायत निवारण तंत्र सक्रिय बनाया जाना चाहिए, जिससे चिकित्सालय, रोगियों की संतुष्टि से सम्बन्धित मामलों को सुलझाने में प्रभावी रूप से प्रयास करते हुए, अपने निष्पादन में सुधार ले आयें।

नैदानिक (डायग्नोस्टिक) सेवाएं

- रोगियों के उपचार के लिए डायग्नोस्टिक सेवा पर बढ़ती हुई निर्भरता के दृष्टिगत प्रत्येक चिकित्सालय/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में भारतीय जन स्वास्थ्य मानक (आई पी एच एस) के अनुरूप आवश्यक रेडियोलॉजी सेवाओं जैसे एक्स–रे एवं

अल्ट्रासोनोग्राफी तथा पैथालॉजी जांचों एवं आवश्यक मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

- रेडियोलॉजिकल और पैथालॉजिकल, दोनों जांचों के संबंध में प्रतीक्षा–अवधि और टर्नएराउण्ड टाइम से सम्बन्धित अभिलेखों का रखरखाव किया जाना चाहिए जिससे डायग्नोस्टिक सेवाओं में समयबद्धता के साथ–साथ उपचार हेतु जांचों के परिणामों की रिपोर्टिंग एवं व्याख्या तथा परामर्श हेतु उच्चतर केंद्रों को संन्दर्भित करने की कार्यवाही का अनुश्रवण किया जा सके।

अन्तःरोगी सेवाएं

- शासन को सक्रियता के साथ जिला चिकित्सालयों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विशेषज्ञ अन्तःरोगी सेवाओं तथा आवश्यक औषधियों, उपकरणों एवं मानव संसाधनों की उपलब्धता के मध्य तालमेल बनाना चाहिए ताकि रोगियों को चिकित्सा संसाधनों की कमी का सामना न करना पड़े एवं गुणवत्तापूर्ण चिकित्सकीय उपचार की उपलब्धता बढ़ायी जा सके।
- जिला चिकित्सालयों में दुर्घटना एवं ट्रॉमा सेवाओं तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आकस्मिक सेवाओं की अनवरत उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- जटिलताओं को कम करने तथा शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु अन्तः रोगियों की पोषण सम्बन्धी आवश्यकता की पूर्ति, चिकित्सालयों में छः प्रकार के अनुशंसित आहारों की उपलब्धता के द्वारा की जानी चाहिए।
- चिकित्सालयों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को उत्तर प्रदेश फायर सेफ्टी मानक 2005 के मैनुअल का कड़ाई से पालन करना चाहिए।
- अनुश्रवण प्रणाली, जो चिकित्सालयों की जवाबदेही एवं उत्तरदायित्व को निर्धारित करने का एक साधन है, में चिकित्सालयों की उत्पादकता, दक्षता, सेवा–गुणवत्ता एवं चिकित्सकीय देखभाल क्षमता से सम्बन्धित प्रतिफल संकेतकों का विश्लेषण सम्मिलित करते हुए, इसे सुदृढ़ करना चाहिए।

मातृत्व सेवाएं

शिशु एवं मातृ मृत्यु की उच्च दर को कम करने के लिए उच्च स्तर की निरंतरता एवं उपलब्धि प्राप्त करने हेतु ठोस प्रयास किया जाना चाहिए। इस हेतुः

- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रसवपूर्व देखभाल सेवाओं की समयबद्धता, पर्याप्तता एवं गुणवत्ता को सशक्त बनाया जाना चाहिए;
- सभी जिला महिला चिकित्सालयों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में गर्भपात देखभाल, आर टी आई/एस टी आई प्रबन्धन की सुविधा, शल्यक्रिया के द्वारा प्रसव की सुविधा एवं आवश्यक संसाधनों में वृद्धि के साथ–साथ सुरक्षित चिकित्सकीय वातावरण प्रदान करके प्रसवकाल सेवा को प्रभावकारी बनाया जाना चाहिए; एवं
- प्रसव के प्रतिकूल प्रतिफलों को कम करने हेतु प्रसवोत्तर देखभाल सेवा का गहन अनुश्रवण करने की कार्यवाही की जानी चाहिए ताकि महिलायें एवं नवजात शिशु पूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकें।

संक्रमण नियंत्रण

निम्न उपायों के द्वारा संक्रमण नियंत्रण प्रबंधन की संस्कृति को चिकित्सालयों में सन्निहित करना चाहिएः

- राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानकों का कड़ाई से अनुपालन;
- कीट/कृंतक नियंत्रण एवं विसंक्रमण की प्रक्रियाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के साथ–साथ इनका अभिलेखीकरण;
- चिकित्सालय जनित संक्रमण फैलने से रोकने हेतु स्वच्छ लिनेन की पर्याप्त उपलब्धता,
- वायु/स्थलीय संक्रमणों के अनुश्रवण हेतु सूक्ष्म जीवविज्ञानी सर्वेक्षण; एवं
- संक्रामक रोगों के प्रसार को कम करने सम्बन्धी किसी भी सम्भावित बिन्दु को चिन्हित करने हेतु बायो–मेडिकल वेस्ट नियम 2016 के प्रावधानों के अनुपालन पर सक्रिय निगरानी।

vk"kf/k çcU/ku

- प्रत्येक चिकित्सालय द्वारा रोग के प्रकार एवं रोगियों की आवक आधारित औषधियों की एक सूची तैयार की जानी चाहिए जिससे ई डी एल को तद्नुरूप अद्यतन किया जा सके तथा आवश्यक औषधियों के स्टाक–आउट की सम्भावना की स्थिति से बचा जा सके।
- औषधियों की प्रभावोत्पादकता बनाए रखने हेतु रोगियों को औषधि वितरित करने के पूर्व तक, औषधि एवं कॉस्मेटिक्स नियमावली 1945 में विहित प्रावधानों के अनुसार औषधियों का भण्डारण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- वार्ड–वार औषधि भंडार पंजिका, औषधियों के दैनिक वितरण के अभिलेखों तथा ओ पी डी औषधि पर्ची का प्रत्येक चिकित्सालय में सावधानीपूर्वक रखरखाव करके उत्तर प्रदेश सरकार के निःशुल्क औषधि वितरण पहल के प्रभावकारी क्रियान्वयन हेतु आलम्बन प्रदान करना चाहिए।
- मूल्यों में सुसंगतता एवं आपूर्ति की गयी औषधियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा ई डी एल की सभी औषधियों का दर अनुबंध किया जाना चाहिए।

Hkou vol jpuk

- चिकित्सालय भवनों हेतु आवश्यक मानव संसाधन एवं उपकरणों की व्यवस्था नियोजन स्तर पर ही करके, विभाग को प्रत्येक नवनिर्मित चिकित्सालय अथवा उसके परिसर में चिकित्सा सुविधा यथाशीघ्र क्रियाशील करना चाहिए।
- चिकित्सालय में अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सालय भवनों के रखरखाव के प्रबंधन का कड़ाई से अनुश्रवण करना चाहिए।

शासन ने उत्तर में बताया कि सभी संस्तुतियाँ उपयोगी हैं तथा इस सम्बन्ध में कई बिन्दुओं पर कार्यवाही की गयी है या प्रस्तावित हैं। शासन ने आगे बताया कि लेखापरीक्षा संस्तुतियों के आलोक में, प्रणाली में सुधार हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

स जफा

(सरित जफा)
प्रधान महालेखाकार (जी0 एण्ड एस0एस0ए0)
उत्तर प्रदेश

इलाहाबाद
दिनांक 02 अगस्त 2019

प्रतिहस्ताक्षरित

(राजीव महर्षि)
भारत के नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक 7th August, 2019